प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.06.2024

POLICE CRACKDOWN

कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.06 .2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा गौकशी के वांछित अभियुक्तगणों को दिनांक 04.06.2024 को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार अभियुक्त गणों के कब्जे से 02 अदद तमंचा .315 नाजायज मय एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर मय चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार,

थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 04.06.2024 को दोराने चेकिंग निठौरा अंडरपास के पास एक मो0सा0 पर सवार दो व्यक्ति को चैकिंग के दौरान टॉर्च की रोशनी से रोका टोका तो ये दोनो अपनी मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने लगे और सड़क किनारे खेत में मोटरसाइकिल उतरी तो उनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई पुलिस पार्टी ने इनका पीछा किया तो इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी पुलिस टीम द्वारा भी अपने आत्म रक्षार्थ फायर किया गया जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए घायल बदमाश ने मौके पर ही संक्षिप्त पूछताछ में अपना नाम शकील पुत्र रहीमुद्दीन निवासी सब बबलू गार्डन निठौरा रोड निकट हानिका मस्जिद लोनी गाजियाबाद तथा दूसरे ने अपना नाम आस मोहम्मद उर्फ छोटा पुत्र निवासी वेस्ट सिटी निठौरा रोड लोनी गाजियाबाद बताया तथा यह भी बताया कि दिनांक 04.06.2024 की सुबह जो गौकशी सबलुगढी निठौरा में की गई थी वह हमारे द्वारा वह हमारे अन्य साथियों द्वारा ही की गई थी इसके संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 322/2024 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व धारा 153 ए भादवि पंजीकृत है। दोनों घायलों अभियुक्तो को तत्काल उपचार हेतु 50 सैय्या अस्पताल 02 नम्बर थाना लोनी बॉर्डर भेजा गया गिरफ्तार अभियुक्त गणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा अन्य विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

अभियुक्त गणों का नाम पता----------

1.शकील पुत्र रहीमुद्दीन निवासी बबलू गार्डन निठौरा रोड निकट हनीशा मस्जिद लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष,

2.आस मोहम्मद उर्फ छोटा पुत्र मुनसूब निवासी वेस्ट सिटी निठौरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष,

बरामदगी का विवरण ----------

1- 02 अदद देशी तमंचे 315 बोर 02 खोका कारतूस व एक जिंदा कारतूस .315 बोर,

2- गौकशी करने के औजार एक अदद छुरी व एक अदद गढासा व एक रस्सा,

3- एक अदद चोरी की स्पे0 मो0सा0 बिना नम्बर,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 12.05.2024 को वादी श्री सागर मावी पुत्र श्री विक्रम मावी निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि अभियुक्त चरण सिंह भाटी, पवन भाटी, विमला, कविता, चंचल, कुलदीप, पूजा, राहुल भाटी, सोनू बघेल, रोहित भाटी, गौरव, टिंकू, विमल, प्रशांत उर्फ मुत्त, निशांत, राहुल रामबाबू, गगन आदि द्वारा वादी व वादी के पिता को पाइपलाइन रोड पर रास्ता रोककर लाठी, डंडो, पिस्टल, तमंचों से लैस होकर घेरकर हमला करना जिससे वादी का सिर फट जाना तथा वादी के पिता की मृत्यु हो जाना। उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

कार्यवाही का विवरण - वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम 1.चरण सिंह पुत्र मंगत राम उम्र करीब 65 वर्ष 2.विमला पत्नी चरण सिंह उम्र करीब 65 वर्ष 3.चंचल पत्नी पवन भाटी उम्र करीब 30 वर्ष 4.पूजा पुत्री चरण सिंह पत्नी कुलदीप उम्र 28 वर्ष निवासीगण राधा विहार कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 5.गौरव पुत्र रामकुमार नागर निवासी ग्राम कचेड़ा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 40 वर्ष 6-कविता पत्नी परशुराम नि0 बी 424 गली न0 02 अशोक नगर दिल्ली उम्र 45 वर्ष 7-विमल पुत्र रामवीर नि0 राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष 8-प्रशान्त उर्फ मुत्तु पुत्र आनद कुमार नि0 कुम्हार कॉलोनी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 23 वर्ष 9-सोनू मावी पुत्र सुभाष मावी नि0 टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष 10-काले उर्फ़ अंकुर पुत्र संजीव नि0 अमित विहार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष 11.दीपक उर्फ गोलू पुत्र विनोद दुबे निवासी गली न0-6, डायमण्ड स्कूल के पीछे अमित विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 12.गौरव पुत्र जगवीर निवासी राजेश का किराए का मकान प्रताप नगर थाना हर्ष बिहार दिल्ली उम्र 24 वर्ष 13. टिंकू उर्फ हेमंत पुत्र सतेंद्र नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 14. कुलदीप पुत्र रामरिक निवासी मिलक नंगला कोट का पुल थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष 15.राहुल उर्फ रामबाबू पुत्र बाबूराम शर्मा नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। उपरोक्त मुकदमें में ही नामित अभियुक्त 16.पवन भाटी पुत्र चरण सिंह निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर उम्र 32 वर्ष, थाना आरकेपुरम दिल्ली में अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार हुआ है एवं 17.अभियुक्त गगन पुत्र यतेंदर निवासी सरस्वती विहार लोनी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को थाना हर्ष विहार दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है।

आज दिनांक 05.06.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त रोहित भाटी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रोहित भाटी की गिरफ्तारी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

उक्त प्रकरण में अभी तक कुल 18 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त रोहित भाटी ने बताया कि मैं पवन भाटी का भतीजा हूँ। दिनांक 05.05.2024 को विक्रम मावी ने पवन भाटी के माता पिता व पत्नी के साथ मारपीट की थी जिस कारण से पवन भाटी अपने मामा विक्रम मावी को मारने को आतुर था। विक्रम मावी की हत्या वाले दिन मैं भी मौके पर ही था तथा मेरे द्वारा भी विक्रम मावी के साथ मारपीट की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

रोहित भाटी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय वाँछित / 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 25 लाख रूपये का माल बरामद

दिनाँक-03/05/24 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में जियो व एअरटेल के मोबाइल टावरों से बैट्री, आर0आर0 यूनिट व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 06 शातिर अपराधियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 04 करोड रूपये का मोबाइल टावरो से चोरी का माल, चोरी करने मे प्रयुक्त उपकरण व चोरी मे प्रयुक्त वाहनो को बरामद करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी थी जिसमें इस गिरोह के अन्य 07 सदस्य फरार चल रहे थे उसी क्रम क्राईम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-22/05/2024 को इसी गैंग के 50-50 हजार रूपये के ईनामी 03 शातिर अभियुक्त व दिनाँक-29/05/24 को 50 हजार रू0 के 01 ईनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी थी जिनके कब्जे से करीब 72 लाख रूपये का मोबाइल टावरो से चोरी का माल तथा चोरी करने में प्रयोग की जाने वाली कार वैगनार बरामद हुई थी।

इसी क्रम मे दिनाँक-04/06/2024 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त गैंग के 50 हजार रूपये के ईनामी फरार शातिर अभियुक्त मेहराजुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन को थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से जियो व एअरटेल कम्पनी के टावरों से चोरी की 02 अदद रेडियो रिसीवर यूनिट व 03 बैट्रियाँ बरामद की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-08/05/24 को **50 हजार रूपये का नगद पुरस्कार** घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त मेहराजुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन ने बताया कि वह 9वीं फेल है तथा सीलमपुर, तुगलकाबाद व मुस्तफाबाद मे कबाड खरीदने-बेचने की फेरी का काम करता है लेकिन इसमें ज्यादा फायदा नही होता था जिससे इसके शौक व घर के खर्च पूरे नही हो पाते थे कबाड की फेरी के दौरान ही सुमित सीलमपुर मे मिला था जिसने उसे मोबाइल टावर से चोरी होने वाले आर.आर.यू. के बारे मे बताया और उसका काम करने के लिए कहा सुमित जावेद मीरापुरिया के लिए काम करता था सुमित ने उसको मोबाइल टावरों से चोरी करने वालो से मिलवा दिया तभी से वह उनके साथ मोबाइल टावरों से चोरी का माल सुमित की बताई हुई पार्टियों से लेकर सुमित के बताये हुए वसीम व जावेद के गोदाम पर पहुँचाने लगा।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है और इनको चुराना काफी आसान होता है और इसकों ट्रॉन्सपोर्ट करने में कोई समझ भी नही पाता हैं। हमनें मिलकर अपना एक संगठित गिरोह बना लिया। हमारे गिरोह मे मेरे अलावा जावेद मीरापुरिया, उसका भाई वसीम, जुबैर, कैफ, सुमित कसाना, राहुल गोयल, शुएब मलिक, वसीम अलवी, सुहेल मलिक, अल्ताफ, नईम व शहजाद शामिल है। हमारे गिरोह के सुहेल मलिक, वसीम अलवी, व अल्ताफ दिल्ली एन0सी0आर0 मे दिन में कबाडे की फेरी करके कबाडे का काम करते थे और जिस मोबाइल टावर से इनको चोरी करनी होती है उसको ये लोग दिन के समय ही कबाडे की फेरी करते हुए चिन्हित कर लेते थे राहुल गोयल यह बता देता था कि किस टावर पर कौन सा आर0आर0यू0 व अन्य उपकरण लगे है और उसे कैसे खोलना है क्योकिं वह टेलीकॉम कम्पनी में ही काम करता था। घटना स्थल पर जाने के लिए गाडी का इन्तजाम सुहेल करता था रात्रि के समय मे उस गाडी से ये लोग चिन्हित किये गये टावर पर पहुँच जाते थे और इनके दो-तीन साथी मोबाइल टावर पर चढ जाते थे और औजारों की मदद से उसमे लगे रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेते थे, चोरी करने के बाद चोरी किया सामान ये लोग उसी गाडी मे रखकर फरार हो जाते थे। राहुल इन लोगो को सभी उपकरणों के बारे मे बताता है कि कौन सा उपकरण क्या है और कितना मँहगा है। चोरी किये गये माल को बेचने के लिए ये लोग माल मेरे अलावा कैफ, शुएब, सुमित, नईम, शहजाद व जुबैर को दे देते थे जिसको हम लोग जावेद मीरापुरिया व उसके भाई वसीम को पहुँचाते थे। जावेद व वसीम से चोरी के माल का पैसा लेकर सुमित व जुबैर के द्वारा बाकी लोगो को दिया जाता था। अपने-अपने हिस्से मे आये रूपयो से ये लोग अपने शौक व खर्चे पूरे करते है।

पूछताछ करने पर पकडे गये अभियुक्त मेहराजुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन ने यह भी बताया कि इन लोगो ने पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती चोरी के उपकरण जावेद मीरापुरिया व उसके भाई वसीम को दिये है। यह पूरा गिरोह जावेद मीरापुरिया व उसका भाई वसीम चलाता है।

पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद, दिल्ली

एन.सी.आर. व आस-पास के राज्यो में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

मेहराजुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन पुत्र रमजानी निवासी RZ-2953/33 तुगलकाबाद एक्सटेंशन थाना गोविन्दपुरी नई दिल्ली उम्र करीब 47 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट - 02 अदद (चोरी की)

2.मोबाइल टावर की बैट्रियाँ- 03 अदद (चोरी की)

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मेहराजुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन के विरूद्ध राजस्थान में 01, मु0नगर में 01 व गाजियाबाद मे 04 कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना ट्रोनिका सिटी पर दिनांक 25-05-2024 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि मेरी बहन उम्र 17 वर्ष को अभियुक्त कुशपेन्द्र पुत्र रामरहीश निवासी ग्राम रूद्रपुर भोजपुर थाना विसुनगढ जनपद कन्नौज उम्र करीब 20 वर्ष, बहला-फुसलाकर ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व पीड़िता की बरामदगी हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.06.2024 को पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता उपरोक्त के मेडिकल व धारा 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर धारा- 366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। दिनांक 04-06-2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के माध्यम से अभियुक्त कुशपेन्द्र पुत्र रामरहीश निवासी ग्राम रूद्रपुर भोजपुर थाना विसुनगढ जनपद कन्नौज उम्र करीब 20 वर्ष को एल्फा चौक ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं और उक्त लड़की एक ही फैक्ट्री में कार्य करते थे। वहाँ हमारी दोस्ती हो गयी थी और मैं इसे लेकर चला गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

कुशपेन्द्र पुत्र रामरहीश निवासी ग्राम रूद्रपुर भोजपुर थाना विसुनगढ जनपद कन्नौज उम्र करीब 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त पर उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा प्राण घातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथौड़ी बरामद।

थाना ट्रोनिका सिटी पर दिनांक 04-06-2024 को वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि मेरे पति को जान से मारने की नियत से उनके सिर पर हथौड़े से वार किया गया है जिससे मेरे पति गंभीर रूप से घायल हो गए है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक 04.06.2024 को ही थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जान से मारने की नियत से हमला करने वाले अभियुक्त मनोज मंडल पुत्र स्व० हरिमण्डल निवासी मकान न0 J -98 गली न0 3 खसरा न0 229 नसीव विहार, निकट सत्यम बिल्डर 50 फुटा रोड इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथौड़ी बरामद की गयी।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त मनोज मंडल ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 03.06.2024 को सुबह मेरी व मेरे बड़े भाई दुलाल मण्डल की सोफे को लेकर आपस में मारपीट हो गयी थी। जिसमें मैंने अपने बड़े भाई दुलाल मंण्डल को हथौड़ी से सिर पर मार दिया था जिससे वह गम्भीर रुप घायल हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

मनोज मण्डल पुत्र स्व० हरिमण्डल निवासी म0न0 जे-98 गली नं0-03 खसरा 229 नसीब विहार, निकट सत्यम बिल्डर्स 50 फुटा रोड इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष मूल पता- हटो टोला कामद वडी पोस्ट रोहिन पुर थाना मानिक चौक जिला मालदा टाउन पश्चिम बंगाल

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त हथौड़ी बरामद।

अपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.06.2024 की रात्रि को चेकिंग के दौरान चोरी की मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ छिम्मन पुत्र पालू राम नि0 ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद को रावली रोड खिमावती गेट से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल न0 DL5S CB 3238 बरामद की गयी। बरामद मोटर साइकिल के संबंध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने लगभग 4-5 महीने पूर्व मंडोली क्षेत्र दिल्ली से चुराई थी। इसका सही नं0 DL 5S CB 3238 है। इसे मैने पेंट करके DL 5S CB 8238 कर दिया था। मोटर साइकिल को लेकर मैं घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

सिद्धार्थ उर्फ छिम्मन पुत्र पालू राम निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर आबकारी अधिनियम के 05 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर हिस्ट्रीशीट प्रचलित है । बरामद चोरी की मोटर साइकिल के संबंध में थाना ई-पुलिस स्टेशन एमबी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त पर कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की मोटर साइकिल न0- DL5S CB 3238

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा छापेमारी के दौरान अवैध रूप से संचालित हुक्का बार चलाने वाली 01 संचालिका व 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न प्रकार के 11 हुक्का व हुक्का में प्रयोग होने वाली सामग्री तम्बाकू आदि बरामद ।

आज दिनांक 05.06.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान गली न0 11 के बाहर राजीव कॉलोनी टीवीएस शोरुम के ऊपरी मंजिल डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में 01 अभियुक्ता/संचालिका नन्दिनी पुत्री सुरेश कुमार **निवासी** सी 03/ 307 नन्द नगरी दिल्ली उम्र 25 वर्ष तथा 03 अभियुक्तगण 1. दीपक कुमार पुत्र सुरेश कुमार **निवासी** सी 03, 307 नन्द नगरी 93 थाना नन्द नगरी दिल्ली 93 उम्र 30 वर्ष 2. गर्वित पुत्र सुशील **निवासी** सी 03, 307 नन्द नगरी 93 उम्र 19 वर्ष 3. रोहित पुत्र कुन्दन लाल **निवासी** रुद्रप्रयाग पावो थाना रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड 24 वर्ष को मय विभिन्न प्रकार के 11 हुक्का व हुक्का में प्रयोग होने वाली सामग्री तम्बाकू आदि सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्तगण का नाम व पता

1. संचालक नन्दिनी पुत्री सुरेश कुमार **निवासी** सी 03/ 307 नन्द नगरी दिल्ली उम्र 25 वर्ष।
2. दीपक कुमार पुत्र सुरेश कुमार **निवासी** सी 03, 307 नन्द नगरी 93 थाना नन्द नगरी दिल्ली 93 उम्र 30 वर्ष।

3. गर्भित पुत्र सुशील **निवासी** सी 03, 307 नन्द नगरी 93 उम्र 19 वर्ष।
4. रोहित पुत्र कुन्दन लाल निवासी रुद्रप्रयाग पावो थाना रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड 24 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

विभिन्न प्रकार के 11 हुक्का व हुक्का में प्रयोग होने वाली सामग्री तम्बाकू आदि।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम